

म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

सीआईएन: यू 40109 एमपी 2001 एसजीसीओ 14880

शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) 482008, दूरभाष: (0761) 2702036,

फैक्स: (0761) 2664450 ई.मेल: ce.ca@mptransco.nic.in, वेब साइट: mptransco.nic.in

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/स्था/2537

दिनांक 27 JUN 2016

आदेश

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के आदेश क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/3233 दिनांक 20.11.2015 के अनुसार सभी पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों, जिसमें म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के साथ म.प्र. राज्य विद्युत मंडल से दिनांक 01.06.2005 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर/परिवार पेंशनर भी शामिल हैं, को 119% की दर से मंहगाई राहत देय है। इस तारतम्य में कम्पनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त समस्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 01 जनवरी 2016 से निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत देय होगी। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01.01.2016	पेंशन/परिवार पेंशन का 125%

- इस आदेश के उपरांत बढ़ी हुई मंहगाई राहत राशि का भुगतान माह जून 2016 की पेंशन के साथ नगद किया जावेगा एवं माह जनवरी 2016 से मई, 2016 की अवधि की देय राशि का भुगतान पांच मासिक किश्तों में जून 2016, जुलाई 2016, अगस्त 2016, सितम्बर 2016 एवं अक्टूबर 2016 की पेंशन के साथ किया जावेगा।
- मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा।
- पेंशन पर देय राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात् सारांशीकरण के पूर्व (before commutation) की पेंशन पर होगी।

आदेशानुसार

मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/स्था/ 2538

// 2 //

दिनांक 27 JUN 2016

प्रतिलिपि-

- 01 अवर सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 02 कार्यपालक निदेशक (एच.आर.एण्ड ए.), म.प्र.पाँवर/मैनेजमेंट/जनरेटिंग कं.लि/म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर।
- 03 कार्यपालक निदेशक (वित्त)/ (सी.आर.ए.)/ (अउदा-संधारण एवं निरीक्षण)/ (अउदा-निर्माण), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 04 मुख्य अभियंता (टी.एण्ड सी.)/ (प्रोक्योरमेंट)/ (योजना एवं रूपांकन)/ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/ (सिविल-ट्रांसमिशन)/ (ट्रांसमिशन भंडार), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 05 मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.एण्ड ए.), म.प्र. मध्य/ पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., भोपाल/ इंदौर।
- 06 अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मा.सं.वि.सं.), म.प्र.पाँ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 07 अधीक्षण अभियंता (टी.एण्ड सी.)/ (अउदा-निर्माण)/ (अउदा-संधारण)/ 400 के.व्ही. उपकेन्द्र वृत्त, म.प्र.पाँ.ट्रां.कं.लि.,
- 08 संयुक्त निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 09 मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.), महाराष्ट्र राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, प्लॉट नं. सी-19, 'E' ब्लॉक, प्रकाशगंगा, 7वीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व), मुम्बई-400051.
- 10 अति. महाप्रबंधक (मा.स.), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित, रायपुर।
- 11 कार्यपालन अभियंता (परीक्षण)/ (संचार)/ (अउदा-निर्माण)/ (अउदा-संधारण)/ (कर्मशाला)/ (400 के.व्ही. परीक्षण)/ (उप भार प्रेषण केन्द्र), संभाग, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
- 12 उप निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 13 कल्याण अधिकारी अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 14 निज सचिव संबद्ध प्रबंध निदेशक/निदेशक (तकनीकी), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 15 क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
- 16 वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखा अधिकारी/(के.ले.ई.)/म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड/म.प्र.पावर मैनेजमेंट/जनरेटिंग कं. लि.,

वेब मास्टर।

टीप :- सरल क्रमांक 2 एवं 5 के लिये।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों को उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।



अति.मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)